<u>जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण</u>

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्री देबुराम पुत्र श्री लक्ष्मण राम खिलेरी, एम.एल. नं. 14/2025 (रेफरेन्स नं. 202510000124935), क्षेत्रफल–1.9960 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता – 330720 टीपीए (ROM) (विक्रय योग्य मैसनरी स्टोन– 297648 टीपीए, अपशिष्ट–33072 टीपीए) के संचालन हेतु निकट गांव– कोलिया, तहसील– डीडवाना, जिला– डीडवाना–कुचामन (राज.) में स्थित है, मेसनरी स्टोन के खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन के प्रतिनिधि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (मु.), डीडवाना–कुचामन की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर की उपस्थिति में सभागार, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन में दिनांक 27/05/2026 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति समाचार पत्र "द इंडियन एक्सप्रेस" एवं "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित करवाई गई थी, जिनकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर सलंग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी आगुन्तकों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट महोदय की तरफ से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (मु.), डीडवाना–कुचामन को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव

Vikas
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

आकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (मु.), महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु मैसर्स श्री देबुराम पुत्र श्री लक्ष्मण राम खिलेरी के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स वाइब्रेंट टेक्नो लैब प्राइवेट लिमिटेड"** को आंमत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स वाइब्रेंट टेक्नो लैब प्राइवेट लिमिटेड"** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट गांव– कोलिया, तहसील– डीडवाना, जिला– डीडवाना–कुचामन (राज.) में खनिज– मेसनरी स्टोन खनन हेतु प्रस्तावित है, जिसका एम.एल. नं. 14/2025 (रेफरेन्स नं. 202510000124935), क्षेत्रफल –1.9960 हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता – 330720 टीपीए (ROM) (विक्रय योग्य मेसनरी स्टोन– 297648 टीपीए, अपशिष्ट–33072 टीपीए) होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारें में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

सर्वप्रथम श्री भींवाराम चाहर निवासी कोलिया द्वारा आक्षेप लगाया गया कि क्षेत्र में करीब 14 फेक्ट्रियाँ एवं करीब 20–25 खाने भी संचालित है। उन सभी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई कार्य नहीं किया जाता है जिस कारण से ग्रामवासियों के स्वास्थ्य अत्याधिक प्रभावित हुआ है एवं प्रदूषण के कारण कई ग्रामवासी काल का ग्रास बन चुके है। साथ ही ग्रामवासियों के पशु भी प्रदूषण का शिकार हो रहे है। पूर्व में स्थापित इकाईयों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है न तो वृक्षारोपण करवाया जाता है न ही पानी का छिड़काव किया जाता है। श्री भींवाराम द्वारा यह भी आक्षेप लगाया गया कि ब्लास्टिंग की वजह ग्रामवासियों के मकानों, मंदिरों अस्पतलाल एवं स्कूल के भवन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। श्री भींवाराम द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि क्षेत्र में किसी नई इकाई को सहमति प्रदान नहीं की जाये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार के प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कच्चे रास्तों पर धूलकणों को उड़ने से रोकने के लिये जल का छिड़काव किया जायेगा। श्री भींवाराम निवासी कोलिया द्वारा जानकारी चाही गयी की आप द्वारा दी गई जानकारी केवल प्रस्तावित परियोजना हेतु है या पूर्व में जो इकाईयाँ संचालित है उनके लिये भी है जिसके प्रतयुत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार के प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त जनसुनवाई प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में है एवं यहाँ दी गई जानकारी उक्त प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में ही है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों को आश्वासन दिया कि आप द्वारा पूर्व में संचालित इकाईयों के सम्बन्ध में जो आक्षेप/आपत्तियाँ प्रस्तुत की है उन्हे रिकॉर्ड में ले लिया गया है एवं उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (मु.), डीडवाना–कुचामन द्वारा मे पूर्व में संचालित इकाईयों द्वारा वृक्षारोपण, पानी के छिड़काव एवं सीएसआर के अन्तर्गत गाँव के विकास एवं गाँव के विद्यालय में सहयोग एवं नियमों की पालना की जा रही है अथवा नहीं जाँच करवाने के निर्देश दिये गये।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार के प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया कि नियमों में इकाईयों द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुपालना करवाये जाने का प्रावधान है

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (मु.), डीडवाना–कुचामन जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए बताया कि उक्त जनसुनवाई प्रस्तावित खनन योजना हेतु आयोजित की जा रही है। परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में वृक्षारोपण, रोजगार, सीएसआर फण्ड आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (मु.), डीडवाना–कुचामन द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों से ग्राम के विकास हेतु यथा विद्यालय में सहयोग, स्थानीय निवासीयों की समस्याओं एवं प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में यदि कोई आक्षेप/सुझाव/आपत्ति हो तो प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (मु.), डीडवाना–कुचामन द्वारा जनसुनवाई के दौरान पूर्व में संचालित खनन इकाई के विरूद्व प्राप्त लिखित आक्षेप के सम्बन्ध में ग्रामवासियों को जानकारी दी गई उक्त खनन इकाई के विरूद्व एक वाद माननीय एन.जी.टी. में विचाराधीन है एवं माननीय एन.जी.टी. से उक्त परिवाद के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त होते ही आगामी कार्यवाही की जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (मु.), डीडवाना–कुचामन द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः आमंत्रित किया गया।

श्री मेघाराम नेहरा, निवासी कोलिया द्वारा आक्षेप लगाया गया कि पूर्व में संचालित खनन इकाईयों द्वारा खनन कार्य के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट जल गोचर भूमि पर निस्त्रावित कर दिया जाता है जिससे गोचर भूमि पूरी तरह से खराब हो गयी है। श्री मेघाराम नेहरा द्वारा द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि प्रस्तावित खनन परियोजना द्वारा भी इसी तरह कार्य किया जायेगा? जिसके प्रत्युत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना द्वारा इस तरह के किसी भी कृत्य को नहीं करने का आश्वासन दिया गया।

श्री नन्दकिशोर ठोलिया, निवासी कोलिया द्वारा बताया की गाँव के आवारा पशुओं की देखभाल के लिये उन्हे गोशाला मे शरण दी जाती है एवं उन्हे गोचर भूमि पर चराया जाता है साथ ही यह आक्षेप भी लगाया गया कि पूर्व में संचालित खनन इकाईयों द्वारा खनन कार्य के दौरान निकलने वाले वेस्ट प्रदार्थ को गोचर भूमि में डाल दिया जाता है जिससे गोचर भूमि बर्बाद हो रही है। श्री नन्दकिशोर ठोलिया द्वारा यह भी बताया गया कि बार–बार इस सम्बन्ध में शिकायत की गयी है लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

श्री कुशाल धेतरवाल, सरपंच प्रतिनिधि द्वारा आक्षेप लगाया गया कि पूर्व में संचालित खनन इकाईयों द्वारा पानी का छिड़काव नहीं करने एवं वृक्षारोपण नहीं करने के कारण अत्याधिक धूलकण उड़ते है इन धूलकणों के कारण ग्रामवासी बीमार हो रहे है। श्री श्री कुशाल धेतरवाल ने यह भी आक्षेप लगाया कि खनन इकाईयों द्वारा वेस्ट प्रदार्थ को गोचर भूमि में डाल दिया जाता है श्री कुशाल धेतरवाल द्वारा उक्त खनन इकाईयों को पाबन्द किया जाने का निवेदन भी किया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (मु.), डीडवाना–कुचामन ने द्वारा बताया गया कि पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा जनसुनवाई में खनन कार्य के दौरान होने वाले प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण संरक्षण के सम्बन्ध में जो जानकारी दी जाती है धरातल पर उनका अभाव पाया जाता है। जिसके प्रत्युत्तर में परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार के प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया गया कि खनन इकाई के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत होन पर इनकी शिकायत सक्षम स्तर पर जैसे क्षेत्रीय कार्यालय एवं एस.डी.एम. कार्यालय में की जा सकती है एवं इस हेतु आम जन को थोड़ा सक्रिय रहने का भी निवेदन किया गया। परियोजना के पर्यावरणीय

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

तकनीकी सलाहकार के प्रतिनिधि द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना द्वारा नियमों की पूर्ण पालना की जायेगी एवं वेस्ट हेतु खनन क्षेत्र के भीतर ही स्थान चिन्हित किया गया है एवं पूर्ण वेस्ट उसी चिन्हित स्थान पर डाला जायेगा।

श्री भींवाराम चौहान निवासी कोलिया द्वारा एवं अन्य ग्रामवासियों द्वारा माँग की गयी की पूर्व मे संचालित खनन इकाईयों द्वारा फैलायी गयी अव्यवस्था को दूर करने के पश्चात ही प्रस्तावित खनन इकाई को सहमति प्रदान की जाये।

क्षेत्रीय अधिकारी, ने द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों को अवगत करवाया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत होने पर मौखिक अथवा लिखित रूप से अपनी शिकायत दर्ज करवायी जा सकती है। शिकायत के सम्बन्ध में जाँच करवा कर नियमों का पालन नहीं करने वाली इकाईयों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (मु.), डीडवाना–कुचामन द्वारा ग्रामवासियों को अवगत करवाया कि क्षेत्र में काफी परियोजनाएँ चल रही है, जिस खनन इकाई के बारे में बता रहे है उस माईन्स का नाम और वो कौनसे गोचर मे बनी हुई है, उसकी शिकायत लिखित रूप से दे।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित समस्त जनसमूह से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया।

अन्त में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई से पूर्व, जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत, ग्रामवासियों व उपस्थित जन–समुह द्वारा लिखित में प्रस्तुत आक्षेप/सुझाव/आपत्ति **परिशिष्ट "स"** पर सलंग्न है।

श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि.म., नागौर	श्री विकास भाटी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (मु.), डीडवाना कुचामन

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

उपस्थिति पंजिका

मेसनरी स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

मेसनरी स्टोन खनन परियोजना **मैसर्स श्री देबुराम पुत्र श्री लक्ष्मण राम खिलेरी,** रेफरेन्श नं. 202510000124935, एम. एल. नं. 14/2025 प्रस्तावित क्षेत्र–1.9960 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 330720 टीपीए (ROM) (विक्रय योग्य– 297648 टीपीए, अपशिष्ट–33072 टीपीए) के संचालन हेतु निकट गांव– कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला– डीडवाना–कुचामन (राज.) में स्थित है।

स्थानः– सभागार, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन

दिनाँकः **27.05.2026,** समयः प्रातः **11:00 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Vilas Bhati	ADM, Didwana	vilas
2.	RJ Kumar Meena	RO, RSPCB	[illegible]
3.	Tejaram Mudgal	AEE, RSPCB	[illegible]
4.	Mahendra Godara	Koliya	[illegible]
5.	Ram karan Sivo	Lodsar	[illegible]
6.	Krishan Bundak	Lodsar	[illegible]
7	मेघाराम	कोलिया	[illegible]
8	महिपाल	कोलिया	महिपाल
9.	चन्दन	कोलिया	चन्दन
10	कुशाल खेतवाल	कोलिया सरपंच प्रतिनिधि	[illegible]
11	रामेश्वर	कोलिया	रामेश्वर
12	देबुराम स्वयं	देवली	देबुराम
13	मोतीराम चारण	कोलिया	मोतीराम चारण
14	हरजीराम	कोलिया	हरजीराम
15	गोविन्दराम कड़वा	कोलिया	[illegible]
16	भींयाराम	कोलिया	भींयाराम
17	रामनिवास	कोलिया	रामनिवास
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	देदू भील	कोलिया	देदू भील
20	गणेशाराम	कोलिया	गणेशाराम
21	नन्दकिशोर	—	नन्दकिशोर

उपस्थिति पंजिका

मेसनरी स्टोन खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

मेसनरी स्टोन खनन परियोजना **मैसर्स श्री देबुराम पुत्र श्री लक्ष्मण राम खिलेरी,** रेफरेन्श नं. 202510000124935, एम. एल. नं. 14/2025 प्रस्तावित क्षेत्र–1.9960 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 330720 टीपीए (ROM) (विक्रय योग्य– 297648 टीपीए, अपशिष्ट–33072 टीपीए) के संचालन हेतु निकट गांव– कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला– डीडवाना–कुचामन (राज.) में स्थित है।

स्थानः– सभागार, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन

दिनाँकः **27.05.2026,** समयः प्रातः **11:00 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
22	हरलाल	मु. पो. कोलिया	[signature]
23	चुन्नाराम	मु. कोलिया	चुन्नाराम
24	राजू	कोलिया	राजू
25	हरीराम	कोलिया	हरीराम
26	नरेन्द्र सिंह	कोलिया	नरेन्द्र सिंह
27	[illegible]	[illegible]	[signature]
28	राकेश	खालियां	राकेश
29	दिनेश चौधरी	मेड़ता सिटी	[signature]
30	हरिराम	छापर	हरिराम
31	मनोज	रणधीसर	मनोज
32	Om Prakash Mew	TAR Didwana	[signature]
33	[illegible]	PA to ADM Didwana	[signature]
34	[illegible]	Vibrant Tech Lab Pvt Ltd	[signature]
35	Ajay Prakash	VTL Jaipur	[signature]
36	Dr. Sunil Chopra	V.T.L Jaipur	[signature]

कार्यालय ग्राम पंचायत, कोलिया

पंचायत समिति डीडवाना, जिला – नागौर (राज.)

प्रेषक :–
मोहनी देवी
~~सरपंच~~ प्रशासक
ग्राम पंचायत कोलिया ,पंचायत समिति
डीडवाना, जिला – नागौर (राज.)
मो. 9783755016

प्रेषित:–
श्रीमान् तहसीलदार महोदय
डीडवाना

क्रमांकः

दिनांक 27/5/2026

विषय:- चारागाह व गौचर भुमि मे क्रेशर कैम्सरी मालिको द्वारा कचरा डालने से रोकने बाबत।

महोदय जी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम कोलिया मे स्थित क्रेशर कैम्सरीयो मे से निकलने वाले मलबे व गंदगी को गौचर व सार्वजनिक स्थानो पर डाला जा रहा है जिससे आवारा व निराश्रित पशुओ के चरने हेतु उपलब्ध भुमि बंजर होती जा रही है

अत: श्रीमान जी से निवेदन है क्रेशर कैम्सरीयो का मालिको को इस हेतु पाबंद करवाने की कृपा करावे।

मोहनी देवी
मौहनी देवी
प्रशासक
ग्राम पंचायत कोलिया
प.स. डीडवाना(डीडवाना–कुचामन)

सेवामे

श्रीमान RSPCB जयपुर, नागौर

विषय प्रदुषण बाबत

~~ॐ~~ उक्त मैं मेघाराम S/o रामकरण।
ग्राम, कोलिया मे खेत खसरा न० 1555
मैं खेती कर रहा हु जीसके पास
~~मैं~~, दौलत रोड़ी, व केसरी नन्दन रोड़ी
उद्योग से होने वाले प्रदुषण से ~~भी~~
भारी नुकसान हो रहा है
जो बिना पानी के चला रहा है
उससे खेत ना ~~क~~ फसल हो रही है
ना हम काम कर सकते है
उक्त आप से निवेदन है की उचीत
कारवाई करे

मेघाराम
9983861610

सेवामें,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी
(नागौर)

विषय :- क्रेशर द्वारा प्रदूषण व खनन क्षेत्र से अवैध रूप से पानी निकास को गऊचर मे डालने हेतु ।।

सादर निवेदन है कि ग्राम कोलिया की गऊचर (सार्वजनिक भूमि मे) दिनेश रोड़ी उद्योग द्वारा खनन क्षेत्र में अवैध रूप से बोरवेल लगाकर उसका पानी दूषित पानी (गऊचर भूमि) पर निकास कर रहे है। जिससे तालाब में पीने का पानी भी दूषित हो रहा है।

2. उक्त क्रेशर मेरे खेत के पास स्थित है। जो प्रदूषण नियमो का उल्लंघन करके संचालन कर रहे है। जिससे मेरे खेत मे फसल का भारी नुकसान हो रहा है। खेत मे कृषिकार्य करने मे भी समस्या पैदा हो रही है। बार 2 कहने पर राजनीतिक पावर द्वारा धमकी दे रहे कि जहा शिकायत करनी है वहा करो हम अधिकारियो हमारी जेब मे है।

मान्यवर आपसे निवेदन है कि हमारी समस्या का शीघ्र समाधान होगा।

प्रार्थी -

हनुमानराम नेहरा।
Mob No-8094965125

सेवा में,

श्रीमान A.D.M. साहब डीडवाना

जिला- डीडवाना - कुचामन

विषय :- खनन पट्टा पर रोक लगाने बाबत आपत्ति

मान्यवर

उपरोक्त विषय में नम्र निवेदन है कि ग्राम कोलियां में खनन पट्टे जारी किये जा रहे है कि जो आबादी व ढाणियों के नजदीक है पूर्व में खाने 300 मीटर की दूरी पर पट्टे जारी कर दिये गये है और अब भी गांव व ढाणियो, से 300 से 700 मीटर की दूरी है जबकि पर्यावरण के अनुसार खाने आवंटन नहीं की जाए क्योंकि भारी प्रदूषण के कारण गांव में लोग बिमार है और मौत भी हो चुकी है खनन पट्टा होगा तो यहा प्रदूषण हो प्रदूषण के कारण ~~लोग~~ जनता पशुधन बिमार हो रहे है अतः आपसे निवेदन कि खनन पट्टे जारी नहीं किया जाए और अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी नहीं करवाने की कृपा करे।

दिनांक 27/5/26

प्रार्थी-
भींवाराम चाहर
9783384607
गांव कोलियां त. डीडवाना
जि. डीडवाना कुचामन
(राज.) 341305

रामनिवास सारण
लक्ष्मण
कैलाश
चन्दन
महिपाल
अं. नि. हरजीराम
मनु [illegible]
कपूरसिंह
[illegible]

सेवामे,

श्रीमान RO RSPCB नागौर
नागौर

विषय: ग्राम कोलिया में खनन पट्टा (लीज) बनाने पर आपत्ती बाबत मामवर,

श्रीमान जी से उपरोक्त विषय में निम्न निवेदन है।

1. यह कि ग्राम कोलिया में खेत खसरा नम्बर 2354/1495 में खनन पट्टा (लीज) जारी नही किया जाये क्यो कि उक्त खेतों से आबादी व ढाणिया 300 मीटर से 700 मीटर है ~~कि~~ जिस कारण यहा भारी प्रदूषण होगा इस लिए यह प्रदूषण के कारण ग्राम कोलिया में काफी मौते हो चुकी है और गांव में ~~बहुसंख्य~~ बहुसंख्य लोग बिमार है

2. यह है कि आबादी व ढाणियां नजदीक होने के कारण ब्लास्ट से ग्राम वासियों के मकान ~~टूट~~ टूट गये है यहां मकान स्कूल अस्पताल व मन्दिर की दीवारे व पट्टियां टूट चुकी है और यहां इतना प्रदूषण होता है जिससे गाये भैंसे बकरियां, भेड़े भी इन खानो की वजह से बिमार है।

3. यह है कि पूर्व में खानों व ~~फैक~~ फैक्ट्रियों की जांच कर इन खानो व फैक्ट्रियो को बन्द करवाया ~~जाए~~ जाए ताकी प्रदूषण से बचा जा सके और कोई बिमार न हो।

अत: आपसे नम्र निवेदन है कि कोलिया ग्राम व मोजलां की ढाणिया में कोई प्रकार खनन पट्टा (लीज) जारी नही करावे यह हमारी और से आपती है अन्यथा हमे न्यायलय की शरण लेनी पड़ेगी जिसके जिम्मेवार आप होंगे। अत: नये पट्टे खनन के जारी नही करे।

दिनांक 27/5/2026

प्रार्थी
नीबाराम भाटर
9783384607
ग्राम कोलिया त. डीडवाना
जि.डीडवाना-कुचामन
(राज) 341305

अं.नि.
दरजीराम

रामनिवास स्वरूप

[signatures]
कैलाश
मदनलाल
करणसिंह
महिपाल
चन्दन

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

A Government of India (Ministry of Railways) Enterprise

NOTICE

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) invites Expression of Interest (EOI) from eligible developers for the development of **Cargo Related Facilities (CRF)** on available DFCCIL land under **Schedule–3 of the GCT Policy dated 14.02.2026** issued by the Ministry of Railways. The initiative aims to promote rail-based logistics and strengthen integration with the national supply chain by enabling the development of logistics infrastructure such as warehouses, cold storage, and allied facilities with direct rail connectivity. Interested developers may submit their EOI along with company profile, proposed location, and preliminary project plan in the prescribed format. EOIs will be evaluated for feasibility, following which an open tender process will be undertaken. The last date for submission is **31 July 2026 (24:00 hrs)**. Submissions can be made via email at **roshansingh@dfcc.co.in** or by hard copy addressed to **GM/OP&BD, DFCCIL Corporate Office, Sector-145, Noida, Uttar Pradesh.** For detailed terms and conditions, applicants are advised to refer to the relevant policy guidelines. EOI document can be downloaded from **www.dfccil.com** and for further Addendum (s)/ Corrigendum(s) to the EOI shall be placed on the DFCCIL website, if any.

स्वच्छता जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना

SWACH

क्रमांकः एफ( )/निविदा/निदे/स्वच्छ/2026-27/1054-58 दिनांकः 24.04.2026

E-TENDER NOTICE :- 07/2026-27

NIB – SWP2627A0011 to 15 UBN :- SWP2627WSOB00081, SWP2627WSOB00082, SWP2627WSOB00083, SWP2627WSOB00084, SWP2627WSOB00085

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग अन्तर्गत स्वच्छ परियोजना के मार्फत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के अन्तर्गत वर्ष में अनुमोदित जनजातीय बालक/बालिका छात्रावास/आवासीय विद्यालयों में निर्माण कार्य कुल निविदा 5 करवाये जाने हेतु ई-बोली सूचना दिनांक 24.04.2026 से आमंत्रित की जाती है। उक्त बोली से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकेगी।

DIRECTOR-SWACH PROJECT UDAIPUR

REGIONAL OFFICE

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001, Email rorpcb.nagaur@gmail.com

Date: 23.04.2026

RPCB/RO NGR/PUB-237/83-87

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ' मेसनरी स्टोन खनन परियोजना मैसर्स श्री देवुराम पुत्र श्री लक्ष्मण राम खिलेरी, रेफरेंस नं. 202510000124935, एमएल नंबर 14/2025, प्रस्तावित क्षेत्र 1.9960 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ 330720 टीपीए (ROM) (विक्रय योग्य सैण्ड स्टोन- 297648 टीपीए, अपशिष्ट- 33072 टीपीए) निकट गांव कोलिया, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन (राज.) में स्थित है, में मेसनरी स्टोन खनन, की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चूंकि मैसर्स श्री देवुराम पुत्र श्री लक्ष्मण राम खिलेरी को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :- 1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।, 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।, 3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।, 4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन।, 5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी।, 6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर।, 7. उपखण्ड अधिकारी, लाडनू, 8. तहसीलदार, लाडनू, 9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- लाडनू, 10. ग्राम पंचायत, कोलिया, तहसील- लाडनू, जिला-डीडवाना-कुचामन, 11. अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत कोलिया, तहसील-डीडवाना, जिला-डीडवाना-कुचामन।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 27.05.2026 को प्रातः 11:00 AM से 12:00 PM तक, स्थान- सभागार, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत कोलिया, तहसील- डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते है।

(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

(A SCHEDULED COMMERCIAL BANK)

Regd. Office :- 19-A, Dhuleswar Garden, Ajmer Road, Jaipur-302001, (CIN : L36911RJ1996PLC011381)

APPENDIX IV [SEE RULE 8(I) POSSESSION NOTICE]

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the **AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank)** under the "Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest [Act, 2002 (54 of 2002)] and in exercise of Powers conferred under Section 13 (12) read with [rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice dated **27-Nov-25** Calling upon the Borrower **Manish Kantibhai Kharadi (Borrower), Smt.Kharadi Pinalben Manishbhai (Co-Borrower) (Loan Account No. L9001070146373090)** to repay the amount mentioned in the notice being for **Rs. 4177639/- (Rs. Forty-One Lakh Seventy-Seven Thousand Six Hundred Thirty-Nine Only)** within 60 days from the date of receipt of the said notice.

Classifieds

PERSONAL

Vinayak Father of No.15240788F Rank-NK Misal Babasaheb Vinayak have changed my name from Vinayak to Vinayak Daulat Misal and DOB 05/01/1957 to 01/01/1948 vide affidavit dated-21/04/2026 before Bikaner Court

0110064021-6

Ratna Gokul Telgote Mother of No.4592950N Sep Telgote Vishal Gokul, Residing Ward No-3, Main Road, Ugwa, Tejnapeth, Akola (MH)-444006, have changed my name from Ratna to Ratna Gokul Telgote vide affidavit No-CF597022 dt-23/04/2026

0110064021-1

M Pavani spouse of No.14679102H Rank-HAV Prasad P have changed my name from M Pavani to Pamuri Pavani vide affidavit dated-21/04/2026 before Bikaner Court

0110064021-7

Deeksha Yadav spouse of No21017794X Rank-GNR Rammohan Yadav have changed my name from Deeksha Yadav to Deeksha vide affidavit dated-21/04/2026 before Bikaner Court

0110064021-4

B LAKSHMI DEVI Mother of No.15741913P Rank-SIGNALMAN BODALOKESH KUMAR have changed my Name from B LAKSHMI DEVI to BODA THIPPAMMA vide Affidavit dated-22/04/2026 before Bikaner Court

0110064021-9

Dhayakour spouse of No.JC387954X Rank-SUB Rohitashw Kumar have changed my name from Dhayakour to Dayakour vide affidavit dated-24/04/2026 before Bikaner Court

0110064021-8

I, Savithri W/o Bangarappa Mother of No.15222423K Rank L/HAV (OPR) Suresha BK, R/o Village Kuduregani, Post Sorab, District shimoga (Karanataka). 577429. Have changed my Name from Savithri to Savithramma and DOB 06.04.1973 to 01.01.1972 vide Affidavit No CC 266020 Dated 23.04.2026 before Rajasthan High court Jodhpur.

0110064016-1

I, Karishma Spouse of No-14951248Y Rank-SEP Vishvendra Singh Have Changed My Name from Karishma to Karishma Jat Vide Affidavit Dated-24/04/2026 Before Bikaner Court

0110064021-3

I, Anupam Mishra wife of No.14851019Y Hav Pramod Kumar, Residing Baisda, Pure Ram Baksh, Amethi (UP)-227405, have change my name from Anupam to Anupam Mishra vide affidavit No.CF597021 date-24/04/2026 bikaner court

0110064021-2

I HAVE CHANGED MY NAME SIRAJ AALAM TO MOHAMMAD SIRAJ AALAM FOR ALL FUTURE PURPOSES R/O MOHAR MAGRI CHITTORGARH. 0110064015-1

I,Asrabai mother of No.15240788F Rank-NK Misal Babasaheb Vinayak have changed my name from Asrabai to Asarabai Vinayak Misal vide affidavit dated-21/04/2026 before Bikaner Court 0110064021-5

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

TELANGANA MEDICAL SERVICES & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION,

Director of Health Campus, Sultan Bazar, Hyderabad - 95, Telangana

(An ISO 9001:2015 Certified Organization)

Phone: 040-40032555 Email id: md_msidc@telangana.gov.in

1. Tender Notice No. 1/2026-27/Medicine/MW/TGMSIDC, Dt: 23/04/2026
2. Tender Notice No. 2/2026-27/Medicine/MW/TGMSIDC, Dt: 23/04/2026
3. Tender Notice No. 3/2026-27/Medicine/MW/TGMSIDC, Dt: 23/04/2026
4. Tender Notice No. 4/2026-27/Material & Supplies (Surgicals)/MW/TGMSIDC, Dt: 23/04/2026
5. Tender Notice No. 5/2026-27/Material & Supplies (Surgicals)/MW/TGMSIDC, Dt: 23/04/2026
6. Tender Notice No. 6/2026-27/Material & Supplies (Surgicals)/MW/TGMSIDC, Dt: 23/04/2026
7. Tender Notice No. 7/2026-27/TGMSIDC/EMP-LABS, Dt: 23/04/2026
8. Tender Notice No. 8/2026-27/DIAG/TGMSIDC, Dt: 23/04/2026
9. Tender Notice No. 9/2026-27/DIAG/TGMSIDC, Dt: 23/04/2026
10. Tender Notice No.10/2026-27/DIAG/TGMSIDC, Dt: 23/04/2026

SARFAESI Act, including power to take possession of the properties and

शहर-समाज

वाले पारिवारिक उत्सवों में हिस्सा लेंगे, मीन वालों का मान-सम्मान बढ़ेगा

पुरानी ... है। लक्ष्य ... करेंगे। ... किसी ... लेगी।

कर्क शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा: कैरियर में आपको नए मौके मिल सकते हैं। पारिवारिक संबंधों में निकटता बढ़ेगी। मन में नई ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य पक्ष कमजोर रहेगा। मेहनत का लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

...रात्मक ...ती है। ...सहायक ...गे। नए

सिंह शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला : युवाओं को अध्ययन में बेहतर प्रस्ताव मिल सकते हैं। काम में पहले से अधिक एकाग्रता और मेहनत की आवश्यकता रहेगी। कार्यस्थल पर नई मुश्किलें आ सकती हैं। धार्मिक आयोजन सफल रहेंगे।

...छ लोग ...ने का ... कारण ...शी के ... रहें।

कन्या शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला : आज का दिन बेहतर परिणाम दिला सकता है। युवाओं को नए अवसरों की तलाश रहेगी। पारिवारिक उत्सवों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत के परिणाम दिखाई देने लगेंगे।

तुला शुभ अंक 6, शुभ रंग बादामी : आज का दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। कार्यों में सफलता मिल सकती है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। समझदारी से चलें तो समस्या का समाधान होगा। मित्रों से विवाद संभव है।

वृश्चिक शुभ अंक 2, शुभ रंग नारंगी : आज का दिन कामयाबी वाला रहेगा। परिवार का साथ सफलता दिला सकता है। आपकी कोशिशों के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद के समाधान के आसार हैं। धैर्य रखें।

धनु शुभ अंक 1 , शुभ रंग हरा : आपको समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। पारिवारिक संबंधों को मन से निभाएंगे। बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी चिंता उभर सकती है। व्यर्थ विवादों के चलते मन अशांत रहेगा

मकर शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी : मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा । कार्यस्थल पर बदलावों के सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। मित्रों के साथ वक्त बिताकर खुशी मिलेगी। दौड़-धूप के शानदार परिणाम मिलेंगे।

कुंभ शुभ अंक 7, शुभ रंग भूरा : चल रहे कामों में सफलता मिलेगी। व्यापारिक साझेदारी की शुरुआत हो सकती है। अनजान लोगों पर भरोसा कर नुकसान उठाएंगे। छोटी-छोटी बातों से रिश्तों में दरार आ सकती है। शांत रहें।

मीन शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद : राह में आ रही हर बाधा दूर हो सकती है। प्रियजन की दूरी मन को खिन्नता देगी। अनुशासन की कमी से अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं। सामाजिक जीवन में मान-सम्मान बढ़ेगा।

...दिवसीय श्रीमद् शिव महापुराण कथा पूरे धार्मिक उत्साह के साथ जारी

...रजत नदवाना, हर्ष तिवाड़ी, ...शर्मा, दीपक शर्मा, राहुल गौड़, ...पलोड, प्रियांशु गौड़, द्वारका ...रीक उपस्थित रहे।

मौलासर तहसील के विद्यार्थियों के लिए रविवार 26 अप्रेल को द गोल्डन पैलेस, डीडवाना में 11.30 बजे आयोजित किया जा रहा है।

हज करने से खुलते हैं रोजगार के रास्ते,

इस स्मारक का अनावरण अतिथियों ने मंत्रोच्चार और बैंड की धुन के साथ किया। इस अवसर पर प्रेम सिंह बाजौर ने कहा कि शहीदों

निकले अग्नि वीर युवाओं का अभिनंदन पत्र भेंट कर भावपूर्ण सम्मान किया गया। शहीद के परिजन गोविंद सिंह राठौड़ ने

अधिकारी मालचंद नेटवाल, अनेक रिटायर्ड सैनिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद् और भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

...कार्यक्रम होंगे, श्रावक- श्राविकाएं जुटे

...बचें : आचार्य महाश्रमण

...समय तक संलिप्त रहती हैं। ..., रस, गंध, स्पर्श और शब्द जैसे ...बाह्य पदार्थ स्वयं में इतने ...तशाली नहीं हैं कि वे हमारे ...र राग या द्वेष पैदा कर सकें। ये ...पदार्थ तो केवल निमित्त बनते ...माध्यम बनते हैं, जबकि हमारे ...र उत्पन्न होने वाले राग-द्वेष का ...य कारण'' हमारा मोहनीय कर्म ...है। मोहनीय कर्म की दो ...स्थाओं सुषुप्त'' और जाग्रत को ...ट करते हुए आचार्य श्री ने कहा ...एक वीतराग महापुरुष के भीतर ...नीय कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने ...कारण, चाहे कितनी भी अनुकूल ...प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, ...सदैव राग-द्वेष से मुक्त रहते हैं। ...इंद्रिय विषयों का अनावश्यक ...भोग करने से बचना चाहिए।

सांसारिक काम-भोगों की निस्सार होते है। काम-भोग शल्य और सांप के विष के समान अत्यंत भयंकर और मारक हैं, जो हमारी संयम चेतना को नष्ट कर जीव को दुर्गति की ओर लें जा सकते है। पूज्य आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का स्मरण करते हुए आचार्य श्री महाश्रमण ने कहा कि गुरू द्वय जनसंपर्क और एकांत ध्यान-साधना दोनों रूपों में मिलकर धर्मसंघ को एक अद्भुत परिपूर्णता प्रदान करते थे। 75 वर्ष की आयु पार करने के पश्चात व्यक्ति को बाहरी जनसंपर्क, लंबी यात्राओं और अनावश्यक भागदौड़ को सीमित कर देना चाहिए।

राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट टीम का चयन कल होगा

भास्कर न्यूज़ | बोरावड़

राजस्थान टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में 14 मई को जेतपुरा जयपुर में होने वाली राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए नागौर जिले की महिला टीम का चयन ट्रायल 26 अप्रैल को रविवार को सुबह 8:00 बजे से बोरावड़ की राना रॉयल्स एकेडमी में होगा।

जिला सेक्रेटरी व कोच हीराराम किरडोलीया व मोहित शर्मा ने बताया की इस वर्ष टीम का चयन पुराने जिले के अनुसार होगा, चयन ट्रायल में नागौर तथा डीडवाना कुचामन जिले के किसी भी आयु वर्ष की महिला खिलाड़ी भाग ले सकती है। उन्होंने बताया की ट्रायल के लिए आने वाले खिलाड़ियों को निर्धारित दस्तावेज साथ में लाने होंगे।

वेंकटेश सत्यनारायण मंदिर का स्थापना दिवस 26 को

डेगाना| शहर के सदर बाजार स्थित वेंकटेश सत्यनारायण मंदिर का वार्षिक उत्सव 26 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस वर्ष मंदिर अपनी स्थापना के 32 वर्ष पूरे कर 33वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है।

REGIONAL OFFICE

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001, Email rorpcb.nagaur@gmail.com

RPCB/RO NGR/PUB-237/83-87 Date: 23.04.2026

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ''मेसनरी स्टोन खनन परियोजना मैसर्स श्री देवुराम पुत्र श्री लक्ष्मण राम खिलेरी, रेफरेंस नं. 202510000124935, एमएल नंबर 14/2025, प्रस्तावित क्षेत्र 1.9960 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ 330720 टीपीए (ROM) (विक्रय योग्य सैण्ड स्टोन- 297648 टीपीए, अपशिष्ट- 33072 टीपीए) निकट गांव कोलिया, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन (राज.) में स्थित है, में मेसनरी स्टोन खनन, की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है।
2. और चूंकि मैसर्स श्री देवुराम पुत्र श्री लक्ष्मण राम खिलेरी को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :- 1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।, 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।, 3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।, 4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन।, 5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी।, 6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर।, 7. उपखण्ड अधिकारी, लाडनू, 8. तहसीलदार, लाडनू, 9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति-लाडनू, 10. ग्राम पंचायत, कोलिया, तहसील- लाडनू, जिला-डीडवाना-कुचामन, 11. अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत कोलिया, तहसील-डीडवाना, जिला-डीडवाना-कुचामन।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 27.05.2026 को प्रातः 11:00 AM से 12:00 PM तक, स्थान- सभागार, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत कोलिया, तहसील- डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में किये जा सकते है।

(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

!! आवेदक !!
ADM
DIDWANA KUCHAMAN

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर (राजस्थान)